

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्या 1207 / VII-1 / 24-ख / 2007
देहरादून: दिनांक : 07 अगस्त, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2011 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 21 की प्रथम अनुसूची का संशोधन उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे विद्यमान स्तम्भ-1 में दी गयी अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् –


स्तम्भ-1 विद्यमान अनुसूची (नियम 21 देखिए)		स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची	
विद्यमान में रायल्टी की दरें प्रति घनमीटर	खनिज का नाम	खनिज का नाम	प्रतिस्थापित रायल्टी की दरें (₹0 में)
55.00 प्रतिटन 108.00 प्रति घनमीटर	1. चूना पत्थर	1. चूना पत्थर	200.00 प्रति टन
75.00 प्रति टन 135.00 प्रति घनमीटर	2. मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	2. मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	500.00 प्रति टन
18.00 प्रति हजार बनी ईंट	3. ईंट बनाने की मिट्टी	3. ईंट	2000.00 प्रति हजार ईंट
0.60 प्रति कि०ग्र० या 60.00 प्रति कुन्टल	4. शोरा (साल्ट पीटर)	4. शोरा (साल्ट पीटर)	6.00 प्रति कि०ग्र० या 600.00 प्रति कुन्टल
	5. इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	5. इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	

100.00 प्रति टन 180.00 प्रति घनमीटर	1. सभी प्रकार के उप खनिजों से निर्मित ग्रेनाइट को छोड़कर) स्लैब्स अशलर सहित साइज्ड डायमेशनल स्टोन (जिसकी कोई भी एक साइड 25 सेमी0 से अधिक हो) 2. मिल स्टोन व हथचक्की (सैण्ड स्टोन क्वार्टजाइट)	1. सभी प्रकार के उप खनिजों से निर्मित ग्रेनाइट को छोड़कर) स्लैब्स अशलर सहित साइज्ड डायमेशनल स्टोन (जिसकी कोई भी एक साइड 25 सेमी0 से अधिक हो) 2. मिल स्टोन व हथचक्की (सैण्ड स्टोन क्वार्टजाइट)	350.00 प्रति टन 500.00 प्रति टन
44.00 प्रति टन 80.00 प्रति घनमीटर	6. नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साइड 25 सेमी0 से अधिक न हो), बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/मिट्टी	6. नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साइड 25 सेमी0 से अधिक न हो), बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	200.00 प्रति घनमीटर
720.00 480.00	7. ग्रेनाइट (साइज्ड) डायमेशनल स्टोन (क) 1 मीटर या उससे बड़ा (ख) 1 मीटर से छोटा	7. ग्रेनाइट (साइज्ड) डायमेशनल स्टोन	1000.00
50.00 प्रति टन 90.00 प्रति घनमीटर	8. विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	200.00 प्रति घनमीटर
5.5 प्रति टन 10.00 प्रति घनमीटर	9. कंकड़	9. कंकड़	200.00 प्रति टन
5.56 प्रति टन 8.00 प्रति घनमीटर	10. साधारण मिट्टी	10. साधारण मिट्टी	50.00 प्रति टन
—	—	11. सोपस्टन	1500.00 प्रति टन
—	—	12. सिलिका सैण्ड	350.00 प्रति टन
—	—	13. डोलोमाईट	500.00 प्रति टन
—	—	14. बैराईट	250.00 प्रति टन
—	—	15. अन्य कोई खनिज जो ऊपर सूचित नहीं है	खनिमुख मूल्य का 20 प्रतिशत।

नियम 22 की 2. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी विद्यमान अनुसूची के स्थान पर द्वितीय अनुसूची का संशोधन स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात -

स्तम्भ-1 विद्यमान अनुसूची		स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रस्तावित अनुसूची	
विद्यमान में प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक (रु. में)	उप खनिज का नाम	प्रस्तावित उप खनिज का नाम	प्रस्तावित में प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक (रु. में)
4000.00	1. मार्बल और मार्बल चिप्स	1. मार्बल और मार्बल चिप्स	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)
4000.00	2. चूना पत्थर लाईम स्टोन	2. चूना पत्थर लाईम स्टोन	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)
16000.00	3. नदी तल से भिन्न स्थान से प्राप्त इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) खण्डास / बोल्टर्स / बजरी / गिट्टी / बैलास्ट / सिंगल / पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम / बालू / मिट्टी	3. नदी तल से भिन्न स्थान से प्राप्त इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) खण्डास / बोल्टर्स / बजरी / गिट्टी / बैलास्ट / सिंगल / पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम / बालू / मिट्टी	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)
40000.00	4. नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्टर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	4. नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्टर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	80000.00
1500.00	5. साधारण मृदा (आर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आर्डिनरी अर्थ)	5. साधारण मृदा (आर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आर्डिनरी अर्थ)	25000.00
-	-	6. खनिज सोपस्टोन हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की

			गई हो)
-	-	7. खनिज सिलिका सैण्ड	30000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)
-	-	8. खनिज डोलोमाईट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)
-	-	9. खनिज क्वार्टजाइट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)
-	-	10. खनिज बैराईट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)

आज्ञा से,

 (राकेश शर्मा)
 मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of ‘**the Constitution of India**’, the Governor pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1207 , Dehradun, dated: 07/08/ 2015 for general information.

**Government of Uttarakhand
Industrial Development Section
No. 1207 /VII-1 /24-Kha/ 2007
Dehradun, Dated : 07 August, 2015**

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (Act no 67 of 1957), the Governor is pleased to a view to further amend the Utrrakhand (Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 1963) Adaptation and Modification Order, 2001 to the context of the State of Utrrakhand as follows; namely:-

The Uttarakhand Minor Mineral (concession) (Amendment) Rules, 2015

- Short Title and Commencement** 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Minor Mineral (concession) (Amendment) Rules, 2015.
- Amendment of First Schedule** 2. (2) It shall come into force at once.
3. In the Uttarkahand (Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 1963) Adaptation and Modification Order, 2001 (hereinafter referred to as Principle Rule), the First Schedule given in column-1 shall be substituted by column-2 as follows, namely-

Column-1 Existing Schedule		column-2 Schedule as hereby substituted	
Existing royalty rate (per cubic meter)	Mineral Name	Substituted mineral name	substituted royalty rate (₹ per tonne)
55.00 per ton 108.00 per cubic meter	1- Limestone	1- Limestone	₹ 200.00 per tonne
75.00 per ton	2-Marble and marble	2- Marble and marble	₹ 500.00 per

135.00 per cubic meter	chips	chips (marble)	tonne
18.00 per thousand made briquette	3- brick earth	3- briquette	₹ 2000.00 per thousand bricks
0.60 per K.G. or 60.00 per Kuntl	4- Salt peter	4- Sora (Salt peter)	₹ 6.00 per k.g. or ₹ 600.00 per kuntl
100.00 per ton 180.00 per cubic meter 200.00 per cubic meter	5- building stone (i) all types of minor mineral made of (except Granite) sized Dimensional stone including slabs ashlar(Sandstone, Quartzite) (who have any one site is above in 25 cm) (ii) sand stone quartzite	5- building stone (i) all types of minor mineral made of (except Granite) sized Dimensional stone including slabs ashlar(Sandstone, Quartzite) (who have any one site is above in 25 cm) (ii) sand stone quartzite	₹ 350.00 per tonne ₹ 500.00 per tonne
44.00 per ton 80.00 per cubic meter	6- The river level from different location Khandas / Boulders (any site which does not exceed 25 c.m.), Bajri(sigle) , Ballast(Gitti), morrum deposit due to erosion of hill/ sand/earth	6- The river level from different location Khandas / Boulders (any site which does not exceed 25 c.m.), Bajri(sigle) , Ballast(Gitti), morrum deposit due to erosion of hill/ sand	₹ 200.00 per cubic meter
720.00 480.00	7- Granite (sized) Dimensional Stone (a) size of 1 meter above (b) size of below 1 meter	7- Granite (sized) Dimensional Stone	₹ 1000.00
50.00 per ton 90.00 per cubic meter	8- Ordinary sand (other than sand used for prescribed purposes	8- Ordinary sand (other than sand used for prescribed purposes	₹ 200.00 per cubic meter

	available in the river bed) or Morrur and Bajri and Boulders and any of the above in a mixed condition	available in the river bed) or Morrur and Bajri and Boulders and any of the above in a mixed condition	
5.5 per ton 10.00 per cubic meter	9-Kankar	9- Kankar	₹ 200.00 per tonne
5.56 per ton 8.00 per cubic meter	10- Ordinary earth	10- Ordinary earth	₹ 50.00 per tonne
-	-	11- Soapstone	₹ 150.00 per tonne
-	-	12-Silika sand	₹ 350.00 per tonne
-	-	13- Dolomite	₹ 500.00 per tonne
-	-	14-Bairite	₹ 250.00 per tonne
-	-	15- other any minerals which are not indicated above	20% of the drilled value


Amendment of Second Schedule 2. The Second Schedule given in column-1 shall be substituted by column-2 of the Principle rule, as follows, namely-

Column-1 Existing Schedule		column-2 Schedule as hereby substituted	
Existing rate of dead rent per acre per annum(₹)	Name of Minor Mineral Name	Substituted Name of Minor mineral name	substituted royalty rate of dead rent per acre per annum(₹)
4000.00	1-Marble and Marble chips	1-Marble and Marble chips	40000.00 per acre per annum. 20%

			growth after three years (if new rates are not the State Government)
4000.00	2-Limestone	2-Limestone	40000.00 per acre per annum. 20% growth after three years (if new rates are not the State Government)
16000.00	3-available in the river Building stone /Khandas/Boulders/ Bajri/ Gitti/ Ballast/ Singal/ Morrum deposited erosion of hills/ Sand/Earth	3-available in the river Building stone/Khandas/Boulders/ Bajri/Gitti/Ballast/Singal / Morrum deposited erosion of hills/Sand/Earth	40000.00 per acre per annum. 20% growth after three years (if new rates are not the State Government)
40000.00	4-Ordinary sand in available in river bed / Morrum / Bajri /Boulder / if any of these in a mixed state	4-Ordinary sand in available in river bed / Morrum / Bajri /Boulder / if any of these in a mixed state	80000.00
1500.00	5-Ordinary Clay or Ordinary Earth	5-Ordinary Clay or Ordinary Earth -	25000.00
-	-	6- for Minerals soapstone	20000.00 per acre per annum. 20% growth after three years (if new rates are not the State Government)
-	-	7-for Minerals Silika sand	30000.00 per acre per annum. 20% growth after three years (if new rates are not the State Government)

-	-	8- for Minerals Dolomite	20000.00 per acre per annum. 20% growth after three years (if new rates are not the State Government)
-	-	9- for Minerals Quartzite	20000.00 per acre per annum. 20% growth after three years (if new rates are not the State Government)
-	-	10- for minerals Bairite	20000.00 per acre per annum. 20% growth after three years (if new rates are not the State Government)

By order,


(Rakesh Sharma)
Chief Secretary.